FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत) 91/2023

1.District(जिला)..चूरू.P.S(थाना)..सीपीएसजयपुरYear(वर्ष).2023..FIRNo.(प्र.सू.रि.)...1....Date(दिनांक).. 24/4/2023

2. (i) Act (अधिनियम)..अत्याचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित2018) Sections(धाराएं)..... 7....

(ii) Act (अधिनियम)............IPC....... Sections (धाराएं)..................120B ....

(iii) Act (अधिनियम)..........................Sections (धाराएं)..

(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराएं) ....

3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)..Date from(दिनांक से) Yr 2023 Date 22.4.2023 to (दिनांक तक) Time Period (पहर) ....5.26 PM....Time From(समय से) .....Time to(समय तक) (b)(ख)Information received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना) .....Date (दिनांक) .... Time(समय). (c)(ग)General Diary Reference (रोजनामचासन्दर्भ)..Entry No(प्रविष्टि संख्या)......437 Time(समय).. 5:10 PM.

4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित / मौखिक) .....लिखित......

5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्यौरा)

(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 80 KM उत्तर .Beat No (बीट संख्या)

(b)(ख) Address (पता) . पुलिस थाना साहवा जिला चूरू।

(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तो)

Name of PS (थाने का नाम) .... District (जिला) ....

6. Complainant/Informant (शिकायतकर्ता / इत्तला देने वाला)

(a)(क) Name (नाम) .....श्री अमित स्वामी ....

(b)(ख) Father`s/Husband`s Name (पिता / पति का नाम) ...मनीराम.......

(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)...32 YR...(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता) ..भारतीय..

(e)(ङ) Passport No (पासपोर्ट संख्या) ....

date of Issue (जारी करने की तिथि) .... Place of Issue (जारी करने का स्थान) ....

(f)(च) Occupation (व्यवसाय).. व्यवसाय ... ..

(g)(छ) Address (पता) निवासी बेगू रोड, सिरसा(हरियाणा)

7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)

1. श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति जाट निवासी गुजासरी पुलिस थाना भादरा जिला हनुमानगढ हाल हैड कानि नम्बर 128 पुलिस थाना साहवा जिला चूरू।
2. श्री सतपाल पुत्र श्री रामकरण जाति जाट निवासी डाबडी पुलिस थाना भिरानी जिला हनुमानगढ हाल कानि नम्बर 662 पुलिस थाना साहवा जिला चूरू।

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत / इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण).......शून्य..

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करे) ....

10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) ..Trap Rs 30,000 ....

11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो) ....

12. F.I.R. Contents (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

सेवामें,

श्रीमान एडिश्नल एसपी साहब
भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो
चूरू

विषयः– पुलिस थाना साहवा के थानेदार व हवलदार द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बधं में।

महोदय,

निवेदन है कि मै अमित स्वामी अपने बडे भाई अमनदीप स्वामी के साथ सिरसा हरियाणा में कबाड का व्यापार करते हैं। हमारी फर्म का नाम मारूती स्क्रेप शाप है। कल दिनांक 21.04.2023 को पुलिस थाना साहवा के तीन चार पुलिस अधिकारी प्राईवेट गाडी से सिरसा में हमारी शॉप पर गये तथा मेरे भाई अमनदीप को उठाकर ले आये। मै दुकान पर नही था बाद में मालुमात किया तो पता चला कि साहवा थाने वाले लेकर गये हैं। मै सिरसा से रवाना होकर भादरा से अपने फूफा श्री राधेश्याम उर्फ श्याम जी को लेकर करीब 9–10 बजे साहवा थाने पंहुचे। थाने में थानेदार श्री राम प्रताप से मिले तो उन्होने श्रवण कुमार मुन्शी से मिलने के लिए कहा जिस पर हमने श्रवण कुमार मुन्शी से अमनदीप के बारे में बातचित की तो उसने कहा कि आपके भाई ने चोरी का सामान खरीदा है जिसमें हमने चोर को पकड लिया उसने पूछताछ पर आपकी दुकान पर चारी का सामान बेचना बताया है इसलिए पकड कर लाये हैं। मैने कहा कि साहब हम चोरी का सामान नही लेते, आपने जो चोर पकडा है उससे हमारे सामने पूछ सकते हो तो सादा वर्दी के दो–तीन आदमी उस चोर को पीटने लगे। इस पर श्रवण कुमार मेरे फूफा जी को दो तीन बार साईड में ले गया ओर कहा कि देख लो आपके आदमी ने चोरी का सामान खरीदा हैं। हम इसे मुल्जिम बनायेंगे तो फूफा जी ने कहा कि चोरी का सामान इन्होने नही खरीदा है तब उसने कहा कि देख लो कुछ खर्चा पानी करते हो तो इनको छोड देगें। मेरे सामने ही फूफा जी ने खर्चे पानी की पूछी तो उसने कहा कि सुबह 8–9 बजे थाने पर आ जाना बात कर लेगें, देख लेगें। पुलिस थाना साहवा के थानेदार राम प्रताप व श्रवण कुमार मुन्शी नाजायज तौर पर मेरे भाई को ले आये तथा अब वो कोई कार्यवाही नही करने के पेटे हम से रिश्वत लेने के प्रयास कर रहे हैं। मेरे फूफा श्री राधेश्याम जी मेरे साथ है। थानेदार व श्रवण कुमार मुन्शी मेरे से या फूफा जी से रिश्वत के सम्बधं में बात करेगा। मै उसे रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। आप आवश्यक कार्यवाही करे।

दिनांक 22.04.2023

प्रार्थी
–:एसडी:–
श्री अमित स्वामी पुत्र मनीराम स्वामी
निवासी बेगू रोड, गली नम्बर 02
एसबीआई बैंक के पास सिरसा(हरियाणा)
मो0न0 8100000501

एसडी
राधेश्याम

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 22.04.2023 को वक्त 08.15 एएम पर मुख्यालय जयपुर से जरिये दूरभाष प्राप्त सूचना पर परिवादीगण से जरिये मोबाइल रात्री को हुई बातचीत के अनुसार पाबंद शुदा परिवादीगण श्री अमित स्वामी पुत्र मनीराम स्वामी निवासी बेगू रोड, गली नम्बर 02 सिरसा(हरियाणा) व राधेश्याम पुत्र श्री राम कुमार जाति स्वामी निवासी भादरा ने हाजिर चौकी चूरू होकर उक्त रिपोर्ट मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की। परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन यिका गया। मजीद पूछातछ पर परिवादी अमित स्वामी ने बताया कि मै मेरे बडे भाई अमनदीप स्वामी के साथ सिरसा हरियाणा में कबाड का व्यापार करता हूँ। हमारी फर्म का नाम मारूती

स्केप शाप हैं। दिनांक 21.04.2023 को पुलिस थाना साहवा के तीन चार पुलिस अधिकारी प्राईवेट गाडी से सिरसा में हमारी शॉप पर गये तथा मेरे भाई अमनदीप को उठाकर ले आये। मै दुकान पर नही था बाद में मालुमात किया तो पता चला कि साहवा थाने वाले लेकर गये हैं। मै सिरसा से रवाना होकर भादरा से अपने फूफा श्री राधेश्याम उर्फ श्याम जी को लेकर करीब 9–10 बजे साहवा थाने पंहुचे। थाने में थानेदार श्री राम प्रताप से मिले तो उन्होंने श्रवण कुमार मुन्शी से मिलने के लिए कहा जिस पर हमने श्रवण कुमार मुन्शी अमनदीप के बारे में बातचीत की तो उसने कहा कि आपके भाई ने चोरी का सामान खरीदा है जिसमें हमने चोर को पकड़ लिया उसने पूछताछ पर आपकी दुकान पर चोरी का सामान बेचना बताया है इसलिए पकड़ कर लाये हैं। मैने कहा कि साहब हम चोरी का सामान नही लेते, जिस पर श्रवण कुमार मुन्शी मेरे फूफा जी को दो तीन बार साईड में ले गया ओर कहा कि देख लो आपके आदमी ने चोरी का सामान खरीदा हैं। हम इसे मुकदमा में मुल्जिम बनायेंगे अगर आप कुछ खर्चा पानी करते हो तो इनको छोड देगें। मेरे सामने ही फूफा जी ने खर्चे पानी की पूछी तो उसने कहा कि सुबह 8–9 बजे थाने पर आ जाना बात कर लेगें। पुलिस थाना साहवा के थानेदार राम प्रताप व श्रवण कुमार मुन्शी नाजायज तौर पर मेरे भाई को लेकर आ गये तथा अब वो मेरे भाई के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही करने के पेटे हम से रिश्वत लेने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे फूफा श्री राधेश्याम जी मेरे साथ है। थानेदार व श्रवण कुमार मुन्शी मेरे से या फूफा जी से रिश्वत के सम्बधं में बात करेगा। मै उसे रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी श्री अमित स्वामी के साथ आये सहपरिवादी राधेश्याम ने भी परिवादी की बातों को दोहराया। बताया कि हमारी श्रवण कुमार मुन्शी व थानाधिकारी से किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश नहीं है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन–देन बकाया है। उक्त रिपोर्ट म हम खुद लिख कर लाये है जिस पर हमारे हस्ताक्षर हैं। परिवादी की रिपोर्ट के बारे में हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। परिवादी की रिपोर्ट एव मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाता है फिर भी रिश्वती मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। सत्यापन उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

परिवादीगण श्री अमित स्वामी, राधेश्याम को मांग सत्यापन करवाने के बारे में कहा गया तो परिवादीगण ने बताया कि श्रवण मुन्शी के द्वारा हमे आज थाने पर बुलाया है जिसके पास जाकर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। इस पर परिवादी श्री अमित स्वामी के द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही में आरोपी से वार्ता करने हेतु कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर मंगवाया जाकर चैक किया गया तो टेप रिकॉर्डर खाली है जिसमें पूर्व की कोई वार्ता रिकॉर्ड नही हैं। टेप रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर टेप रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की विधि समझा कर परिवादी अमित स्वामी द्वारा बतायेनुसार इसके फूफा श्री राधेश्याम को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिफ दी गई। वक्त 9.30 एएम पर कानि ओम प्रकाश व परिवादीगण श्री अमित स्वामी, राधेश्याम का आपस में परिचय करवाकर परिवादीगण के साथ उनके वाहन से रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये साहवा के लिए रवाना किया गया।

वक्त 12.20 पीएम पर कानि ओम प्रकाश ने जरिये मोबाईल बताया परिवादीगण श्री अमित स्वामी, राधेश्याम पुलिस थाना साहवा गये तथा करीब दो–ढाई घंटे बाद वापस आया और बताया है कि मेरी श्रवण कुमार मुन्शी से बात हो गई है उन्होने 50 हजार रूपये मांग कर 30 रूपये रिश्वत के लेने के लिए सहमत हुआ हैं तथा आज ही रिश्वती राशि लेकर बुलाया हैं। उक्त वार्ता को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। जिस पर कानि ओम प्रकाश को रिश्वती राशि सहित परिवादीगण को लेकर चौकी पंहुचने की हिदायत की गई। आज राजकीय अवकाश है, ट्रेप कार्यवाही बाबत जरिये तहरीर पीएमओ डीबी अस्पताल चूरू को दो गवाह भिजवाने बाबत निवेदन किया गया।

वक्त 2.00 पीएम पर परिवादी अमित स्वामी, राधेश्याम व कानि ओम प्रकाश हाजिर कार्यालय आये व ओम प्रकाश कानि ने मन् पुलिस निरीक्षक को टेप रिकॉर्डर सुपुर्द कर जरिये दूरभाष बताई गई बातो को दोहराया। हाजिर परिवादी अमित स्वामी ने बताया कि रिश्वती राशि साथ लाया हूँ। अमित स्वामी व सहपरिवादी राधेश्याम ने पूछने पर दोनो ने बताया कि टेप रिकॉर्डर को राधेश्याम ने चालु कर लिया तथा हम दोनो थाने पर गये व श्रवण जी से बातचीत की तो श्रवण जी ने कहा कि आप अभी बैठो साहब आ जाते है उनसे बात करते हैं। थोडी देर बाद थाने के ईन्चार्ज वर्दी में थाने आये जिनसे हम उनके कक्ष में मिले व अमनदीप के बारे में बात की तो थानेदार जी ने कहा कि हमने चोर को तीन दिन से पकड रखा है। इसने सिरसा में आपकी दुकान पर बेचना बता रहा है। आपकी दुकान के दो वर्करो को माल देना बता रहा हैं। हमने कहा हमारी दुकान पर एक ही वर्कर काम करता हैं। इस पर थानेदार जी ने कहा कि हो सकता है यह मुल्जिम हमे गुमराह कर रहा हैं। आप बाहर बैठो मै श्रवण जी

से बात करता हूँ। इस पर हम दोनो थानाधिकारी कक्ष से बाहर चले गये तथा श्रवण जी थानेदार जी के पास आये। करीब 5 मिनट बाद श्रवण जी बाहर हमारे पास आये और मुझ (राधेश्याम) कमरे में ले जाकर कहा कि मै साहब से बात करके आ गया हूँ आपके रिश्तेदारो का क्या मन है तो मैने कहा कि आप ही बता दो जिस पर श्रवण जी ने कहा कि 50–40 करवा देना तो मैने कहा कि ज्यादा हो जायेगें तो श्रवण जी ने कहा कि आप कितना करा कर सकते हो तो मैने कहा कि इनका तो 20–25 का मन है तब श्री श्रवण जी ने कहा कि 30 हजार रूपये करवा देना। मैने कहा कि अभी तो हमारे पास दस हजार है वह आप रख लो, बीस हजार आपको एटीम से लाकर दे देगें। तब श्री श्रवण जी ने कहा कि साथ ही दे देना। उक्त वार्ता को टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। कानि द्वारा प्रस्तुत टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया तो परिवादीगण के कथनो की ताईद हुई। वार्ता में आरोपी द्वारा तीस हजार रूपये रिश्वत के मांगने के तथ्यों की पुष्टि हुई। चूंकि आरोपी के द्वारा आज ही रिश्वत राशि लेकर परिवादीगण को बुलाया है इसलिए टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड निकाल कर सुरक्षित रखा गया, आईन्दा रिकॉर्ड वार्ता की फर्द तैयार की जावेगी।

पाबंद शुदा श्री प्रदीप कुमार नर्सिंग अधिकारी, श्री श्रवण कुमार सिहाग नर्सिंग अधिकारी पं0 दीनदयाल उपाध्याय मैडिकल कॉलेज चूरू हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो कर्मचारियों को परिवादीगण के द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों का परिवादी से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया।

वक्त 2.50 पीएम पर परिवादी श्री अमित स्वामी ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले तीस हजार रूपये के नोट पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार से है:–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर	6HT 430147
2.	————————	1BK 101578
3.	————————	5DS 230859
4.	————————	2CB 424760
5.	————————	4BU 609074
6.	————————	4NU 704563
7.	————————	4SK 126404
8.	————————	3DP 588473
9.	————————	1PA 833444
10.	————————	2DB 877715
11.	————————	1AC 396512
12.	————————	5MP 830483
13.	————————	9AD 297005
14.	————————	9LG 696955
15.	————————	8TW 304875
16.	————————	2AE 697848
17.	————————	2HV 777102
18.	————————	6KC 318692
19.	————————	7DL 290018
20.	————————	1BP 610209
21.	————————	7GH 044553
22.	————————	8NU 247227
23.	————————	8FH 487449
24.	————————	3DS 025613
25.	————————	5KF 386154
26.	————————	3BF 247179
27.	————————	5FD 274114
28.	————————	4QE 531977
29.	————————	8FB 062749
30.	————————	6AC 847382

31	-------------------------	6AC 847381
32	-------------------------	8TS 721614
33	-------------------------	1AL 365841
34.	-------------------------	6SE 013399
35	-------------------------	5AR 956047
36.	-------------------------	2CB 032713
37.	-------------------------	0GG 342666
38.	-------------------------	2CB 721160
39.	-------------------------	2UV 537276
40.	-------------------------	2SK 166423
41.	-------------------------	2GV 732530
42.	-------------------------	6KS 176495
43.	-------------------------	6PG 002744
44.	-------------------------	5QG 677914
45.	-------------------------	0HC 291481
46.	-------------------------	8HM 299797
47.	-------------------------	9MT 774299
48.	-------------------------	4RK 626856
49.	-------------------------	8BP 543097
50.	-------------------------	4NM 917571
51.	-------------------------	7FL 867400
52.	-------------------------	4RN 691685
53.	-------------------------	4HP 358678
54.	-------------------------	5CR 908202
55.	-------------------------	7GW 079511
56.	-------------------------	8EB 404498
57.	-------------------------	0GV 393020
58.	-------------------------	0KE 373232
59.	-------------------------	0KE 373233
60.	-------------------------	0KE 373234

उक्त नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री राजकुमार कानि 223 से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अमित स्वामी के कहे अनुसार कि पुलिस थाना में रिश्वत के सम्बधं में सारी बात उन्होने मेरे फूफा राधेश्याम से ही की है तथा वह पैसे भी इनसे ही लेगा। जिसकी ताईद हाजिर राधेश्याम ने भी की है। इसलिए सहपरिवादी राधेश्याम की जामा तलाशी गवाह श्री प्रदीप कुमार से लिवायी जाकर रिश्वती राशि को परिवादी राधेश्याम के पहनी जीन्स पेंट की पीछे की बायीं जेब में श्री राजकुमार कानि से रखवाई गई। परिवादी व सह परिवादी राधेश्याम को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखें। अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात निर्धारित ईशारा करें। दोनो गवाहान को निर्देश दिये गये। श्री राजकुमार कानि के हाथ की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेटयुक्त घोल में डूबोकर धुलवाया जाकर परिवादीगण व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। गिलास तथा राजकुमार कानि के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। दृष्टान्त में प्रयुक्त काच के गिलास व चम्मच को कार्यालय में रखवाये गये। फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी सुरक्षित रखवाई गई। नये कांच के गिलास व नई चमच्च ट्रेप बॉक्स में रखे गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहो के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। सहपरिवादी राधेश्याम को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय के टेप रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व टेप रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर सुपूर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

वक्त 3.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, दो परिवादीगण मय दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री प्रदीप कुमार व श्री श्रवण कुमार सिहाग तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह सहायक उप निरीक्षक, श्री ओम प्रकाश, श्री राजपाल सिंह, श्री श्रवण कुमार, श्री प्रदीप कुमार, रिपेन्द्र सिंह, राकेश कुमार कानिगण मय श्री प्रमोद पूनियां कनिष्ठ सहायक एसीबी चूरू के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर एक प्राईवेट, एक निजि वाहन व परिवादी के वाहन से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना साहवा के लिए हुआ। श्री राजकुमार कानि 223 को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।

वक्त 5.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनो परिवादीगण मय दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जरिये वाहनों के साहवा में गुरूद्वारे के आगे पंहुच गाडियों को साईड में रूकवाया गया। परिवादीगण को उनके स्वयं के वाहन से पुलिस थाने की तरफ रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के गुरूद्वारे के आगे गोपनीय रूप से परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुआ।

वक्त 5.26 पीएम पर परिवादी श्री अमित स्वामी ने मन् पुलिस निरीक्षक को रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 8100000501 से मेरे मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि पुलिस थाना साहवा के बाहर थाने के श्रवण कुमार ने मेरे फूफा राधेश्याम से 30,000रूपये रिश्वत के प्राप्त कर अपनी लॉवर की पीछे की जेब में रखे लिये है। इस पर मैं पुलिस निरीक्षक दोनों गवाहान मय ट्रेप दल के सदस्यो को साथ लेता हुआ पुलिस थाना साहवा के दक्षिण में पीपल के पेड के नीचे खडे परिवादीगण अमित स्वामी व राधेश्याम के पास पहुंचा। इस पर सहपरिवादी राधेश्याम से रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया गया। परिवादी अमित स्वामी ने पास ही चाय की दुकान पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया यही श्रवण कुमार जी मुन्शी हैं। इस पर परिवादीगण को साथ लेता हुआ चाय की दुकान पर परिवादी द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास पंहुच अपना परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व अपना नाम श्रवण कुमार हैड कानि पुलिस थाना साहवा जिला चूरू होना बताया। श्रवण कुमार को परिवादीगण से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो श्रवण कुमार ने कहा कि मैने कोई पैसे नही लिये है। इस हाजिर सह परिवादी राधेश्याम ने बताया कि श्रवण जी झूठ बोल रहे है। मै व अमित स्वामी पुलिस थाने में श्रवण कुमार के पास गये जिसने कुछ कागजो पर अमित स्वामी के हस्ताक्षर करवाये व कहा कि रूपये ले आये क्या तो हमने कहा हां। इस पर श्रवण कुमार हम दोनो को साथ लेकर थाने के बाहर चलते–चलते मेरे से 30,000रूपये मांगे तो मैने अपनी जेब से निकाल कर श्रवण जी को 30,000रूपये दिये जिन्होने अपने दाहीने हाथ में लेकर अपनी पहने लॉवर के पीछे की जेब में रख लिये व मुझे कहा कि श्याम जी कोई सिस्टम तो नही है, मैने कहा कोई दिक्कत नही हैं। श्रवण जी ने मेरे साथ चाय की दुकान की तरफ पीपल के पेड के पास पंहुच कहा कि आपको चाय पिलाता हूँ रूको, तो मै वहीं रूक गया तथा श्रवण कुमार चाय की दुकान के पीछे एक मकान में गया जिसके पीछे–पीछे अमित स्वामी जाकर गेट पर रूक गया। अमित स्वामी ने वापस आकर मुझे बताया कि श्रवण जी ने इस मकान मे एक व्यक्ति को पैसे दे दिये हैं। इस पर अमित ने आप को फोन कर दिया। श्रवण कुमार हैड कानि ने फिर सोचकर कहा कि साहब गलती हो गई। आरोपी श्रवण कुमार द्वारा परिवादीगण से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मेरे निर्देशानुसार श्रवण कुमार का बांया व दाहीना हाथ क्रमशः ओम प्रकाश व रिपेन्द्र सिंह ने कलाईयों से पकड लिये। परिवादीगण के बतायेनुसार आरोपी श्रवण कुमार ने चाय की दुकान के पीछे एक कमरे में रिश्वती राशि किसी व्यक्ति को दी गई हैं। इस पर श्रवण कुमार को साथ लेकर चाय की दुकान के पीछे मुख्य द्वार में प्रवेश कर सामने खुले कमरे के गेट पर पंहुचे तो कमरे में एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर अमित स्वामी ने बताया कि श्रवण जी इसी व्यक्ति को रूपये देकर गये हैं। तब उस व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम सतपाल कानि 662 पुलिस थाना साहवा जिला चूरू होना बताया। सतपाल कानि को श्रवण कुमार हैड कानि से ली गई रिश्वत राशि बाबत पूछा तो सतपाल कानि एकदम से घबरा गया और इधर–उधर देखने लगा। पुनः पूछने पर सतपाल कानि ने बताया कि मै अपने किराये के कमरे में बैठा था। अभी–अभी थाने का हैड कानि श्रवण जी आये व मुझे कमरे के गेट पर ही 500–500रूपये के काफी नोट दिये व कहा कि इनका इधर–उधर कहीं छिपा दो। इस पर मैने श्रवण जी से लिये रूपये कमरे के बाहर चार दिवारी के पास पडी ईंटो के नीचे छुपा रखे हैं। सतपाल कानि को साथ लेकर ईंटो के पास जाकर गवाह प्रदीप कुमार से दो–तीन ईंट हटवाई गई तो सतपाल ने अपने पैर से एक ईंट अलग की जिसके नीचे 500–500 रूपये के नोटो की थेई रखी दिखाई दी। उक्त नोटो के बारे में सतपाल

कानि ने बताया कि श्रवण जी से लिये रूपये यहीं हैं। श्रवण जी ने यह रूपये [illegible] मुझे पता नही हैं। इस पर मेरे निर्देशानुसार सतपाल कानि का बांया व दाहीना हाथ क्रमश श्रवण कुमार व राकेश कुमार ने कलाईयों से पकड लिये। ईंट के नीचे रखे मिले 500 500 रूपये के नोटो की थेई गवाह श्री प्रदीप कुमार से उठवाकर नोटो को गिनवाया गया [illegible] गिनकर 30,000रूपये होना बताया। उक्त पूछताछ एवं रिश्वत राशि बरामदगी करने तक मकान के बाहर काफी लोग एकत्रित हो गयें। इसलिए सुरक्षित कार्यवाही करने के लिये [illegible] आरोपीगण के हाथ पकड़े–पकड़े पास ही स्थित पुलिस थाना साहवा पंहुचे। परिवादी अमित स्वामी ने बताया कि श्रवण जी मेरे भाई अमन दीप को थाने के एक कमरे में बैठा कर [illegible] लेकर बाहर चला गया। इस पर पुलिस थाना के एचएम कक्ष के आगे पंहुच कर अमन दीप नाम से अमित ने आवाज दी तो एक व्यक्ति एचएम कक्ष से निकल कर बाहर आया जिसे अमित स्वामी ने अपना भाई अमन दीप होना बताया। अमन दीप ने पूछने पर बताया कि मै सिरसा में स्केप का धन्धा करता हूँ। कल शाम करीब छः बजे के आस–पास एक प्राईवेट गाडी से चार–पांच व्यक्ति जिनमें तीन व्यक्ति पुलिस वर्दी में(आरोपी श्रवण कुमार की तरफ ईशारा कर बताया कि यह भी साथ था) एवं दो सादा कपडो में थे, मेरे दुकान पर आये तथा मुझे कहा कि आप स्केप का धन्धा करते हो स्केप कहां से लेते हों। मैने कहा कि मै सिरसा मार्केट से स्केप खरीदता हूँ और आगे बेचता हूँ। मुझे बात करते–करते दुकान के बाहर गाडी के पास लेकर आये तथा गाडी में बैठे एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यह चोर है इससे आपने चोरी का माल खरीदा है। इसे जानता है क्या, मैने कहा कि मै इसको नही जानता। गाडी में बैठे व्यक्ति ने भी पूछने पर मुझे जानने से मना कर दिया। इनके साथ के एक व्यक्ति ने मेरी कॉलर पकड कर मुझे गाडी में डाल लिया और मुझे लेकर गाडी से चल दिये। रास्ते में इन पुलिस वालो ने मेरा मोबाईल छीन लिया और मुझे कहा कि इस चोर से तुने स्केप खरीदा है, मै मना करता रहा तो श्रवण जी ने कहा कि साहवा थाने चल वहां तू तो क्या बड़े–बड़े हां भर लेगें। मैने कहा कि मेरे घरवालो से मेरी बात करवा दो इन्होने मेरी बात नही करवाई तथा ना ही मेरे घरवालो को मुझे लाने की सूचना दी। श्रवण जी ने सिरसा में बेगू रोड स्थित कीर्ती नगर पुलिस चौकी पर अपने व मेरे नाम पते लिखवाये थे। रात को थाना साहवा पंहुचने के बाद मुझे हवालात में बंद कर दिया। बाद मे रात को मेरा भाई अमित व फूफा राधेश्याम जी थाने पर आये जिनसे श्रवण जी बात कर रहे थे, मेरे भाई व फूफा को मेरे बात नही करने दी। आज शाम को मेरा भाई अमित व फूफा जी के थाने पर आने से 5–10 मिनट पहले ही मुझे हवालात से बाहर निकाल पेंट शर्ट पहना कर थाने के एक कमरे में बैठा कर श्रवण जी ने मेरे व अमित के कुछ कागजो पर हस्ताक्षर करवाये व श्रवण जी अमित व फूफा जी को लेकर थाने से बाहर चले गये मै वहीं कमरे में बैठा रहा। थानाधिकारी के कक्ष ट्रेप कार्यवाही के कम मे थाने से पांच साफ कांच के गिलास मंगवाकर इनमें साफ पानी भरकर इनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री सतपाल कानि के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुदला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क SR-1, SR-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी सतपाल कानि के बायें हाथ की अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुदला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क SL-1, SL-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। तीसरे गिलास के रंगहीन घोल में श्री श्रवण कुमार हैड कानि 128 के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुदला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। चौथे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्रवण कुमार हैड कानि के बायें हाथ की अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुदला हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा–आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर बरामद रिश्वत राशि जो गवाह प्रदीप कुमार ने मौके से उठाकर गिनी थी इस राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित कर नोटो को खुले कपडे में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते

वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी श्रवण कुमार के लिए एक लॉवर की व्यवस्था करवाकर उसके पहने लॉवर को उतरवाकर इसके पीछे की दाहीनी जेब को उलटवाकर प्रकियानुसार सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल के पांचवे गिलास में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्रवण कुमार हैड कानि का पहना हुआ बरंग ग्रे की जेब को सुखाकर लॉवर को धागे में सील्ड कर चिट चस्पा कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर लॉवर पकैट को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी श्रवण कुमार हैड कानि को अमनदीप को किस मुकदमें में सिरसा से लेकर आने बाबत पूछने पर आरोपी श्रवण कुमार ने बताया कि श्री ब्रजलाल माली निवासी वार्ड नं0 22 साहवा कि रिपोर्ट दिनांक 19.04.2023 पर थाना साहवा में मुकदमा में मु0न0 67/2023 धारा 379 भादस में दर्ज किया जाकर अनुसंधान मेरे सुपुर्द किया गया जिसमें मुल्जिम जगदेवाराम निवासी नीमरासर पुलिस थाना भानीपुरा को दिनांक 21.04.23 को गिरफतार किया गया था जो वर्तमान में दिनांक 24.04.23 तक पुलिस रिमाण्ड पर है। उक्त श्री जगदेवाराम ने पूछताछ के दौरान दिनांक 21.04.23 को प्रकरण के माल मसरूका कल्टीबेटर मशीन सिरसा में दुकान पर बेचना बताया था जिस पर अभियुक्त की ईतला पर उसे व थाने के तीन सिपाईयों को साथ लेकर प्राईवेट वाहन से दिनांक 21.04.2023 को सिरसा गया था। सिरसा में अमनदीप की दुकान पर जाकर अमन दीप को साथ लेकर आज सुबह थाना साहवा पंहुचा था। आज दिन में अमन दीप का भाई व श्यामा निवासी भादरा आये थे जिनसे मैने कोई रिश्वत की मांग नही की थी। मैने आज दिन मे अमन दीप से पूछताछ की थी तो अमन दीप ने कल्टीबेटर खरीदना नही बताया। आज शाम को अमन दीप का भाई व श्यामा मेरे पास थाने में आये थे जिस पर मैने अपन दीप को उसके भाई अमित स्वामी को सुपुर्द करने बाबत सुपुर्दगी मैने तैयार कर अमित व अमन दीप के हस्ताक्षर करवाये थे। फिर हम सभी थाने से बाहर चले गये थे। पुलिस थाना साहवा के मु0न0 67/2023 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति अलग से प्राप्त की गई।

थाने पर उपस्थित थानाधिकारी श्री राम प्रताप ने पूछने पर बताया कि मु0न0 67/2023 में अनुसंधान अधिकारी श्रवण कुमार हैड कानि ने मुल्जिम जगदेवाराम को कल दिनांक 21.04.2023 को गिरफतार कर थाने पर लाये थे। जगदेवाराम से पूछताछ करने पर उसकी ईतला अनुसार श्रवण कुमार हैड कानि थाने के तीन सिपाईयों को लेकर कल सिरसा गया था। रात को श्रवण कुमार हैड कानि कितने बजे आया मुझे पता नही मै शाम को अपने निवास पर चला गया था। मै आज सुबह करीब 10 बजे निवास से थाने पर आया तो श्रवण कुमार थाने पर था और अमन दीप एचएम कक्ष में निगरानी में बैठा था। मैने अपने कक्ष में बुलाकर अमनदीप को पूछा कि मुल्जिम जगदेवराम तुझे सिरसा में कल्टीबेटर बेचने की कह रहा है तो अमन दीप ने मना कर दिया कि मैने कोई कल्टीबेटर नही खरीदा, फिर उसे निगरानी में बैठा दिया। आज दिन में करीब 11 बजे अमन दीप का भाई व उसके साथ एक व्यक्ति और था मेरे पास थाने पर आये थे। इन्होने कहा कि अमनदीप हमारा भाई है इसने चोरी का माल नही खरीदा तो मैने इनको कहा कि यदि अमन दीन ने चोरी का सामान नही खरीदा तो हम इसे मुल्जिम नही रखेगें। मैने अमन दीप के भाई को श्रवण हैड कानि से मिलने के लिए नही कहा था। इस पर अमनदीप का भाई व उसके साथ आया व्यक्ति चले गये थे, यह दोनो श्रवण कुमार हैड कानि से मिले या नही मुझे पता नही। आज शाम को अमन दीप का भाई व उसके साथ वाला व्यक्ति थाने पर आये थे या नही मुझे जानकारी में नही हैं, मै थाने में अपने कक्ष में बैठा था। हाजिर परिवादी अमित स्वामी व सहपरिवादी राधेश्याम ने पूछने पर दोनो ने बताया कि कल दिनांक 21.04.2023 को हम रात्री करीब 9.30 बजे पुलिस थाना साहवा में आये थे। हम थाने में आये तो अमन दीप थाने की हवालात में था। हमने श्रवण जी मुन्शी से बातचीत की तो श्रवण जी ने कहा कि हां मै अमनदीप को लाया हूँ। अमन दीप ने चोरी का सामान खरीदा है। चोरी के मुल्जिम को हमने गिरफतार किया है उसने अमन दीप द्वारा सामान खरीदना बताया हैं। हमने कहा कि हम अमनदीप से मिला दो इन्होने नही मिलाया। थाने में श्रवण जी व तीन-चार आदमी और थे जो अमनदीप को हवालात से निकाल कर एक कमरे में बैठाया व हवालात में वंद मुल्जिम जिसके द्वारा चोरी करना बता रहे है को हवालात से बाहर निकाल कर पास वाले कमरे में ले जाकर पीटने लगे जो जोर-जोर से चिल्ला रहा था। आज दिन में करीब साढे दस बजे हम दोनो थाने पर आये व श्रवण जी से बातचीत की तो श्रवण जी ने कहा कि आप अभी बैठो साहब आ जाते है उनसे बात करते हैं। थोडी देर बाद थाने के ईन्चार्ज वर्दी मे थाने आये जिनसे हम इनके कक्ष में मिले व अमनदीप के बारे में बात की तो थानेदार जी ने कहा कि हमने चोर को तीन दिन से पकड रखा है। इसने सिरसा में आपकी दुकान पर सामान

बेचना बताया है। आपकी दुकान के दो वर्करो को माल देना बता रहा हैं। हमने कहा हमारी दुकान पर एक ही वर्कर काम करता हैं। हमने 21.03.2023 की क्रय–विक्रय सामान की लिखा पढी व वर्कर की फोटो मोबाईल पर मंगवाकर श्रवण जी को दिखाने बाबत थानेदार को बताया था। इस पर थानेदार जी ने कहा कि हो सकता है यह मुल्जिम हमे गुमराह कर रहा हैं। आप बाहर बैठो मै श्रवण जी से बात करता हूँ। इस पर हम दोनो थानाधिकारी कक्ष से बाहर चले गये तथा श्रवण जी थानेदार जी के पास आये। करीब 5 मिनट बाद श्रवण जी बाहर हमारे पास आये और मुझे (राधेश्याम) कमरे में ले जाकर कहा कि मै साहब से बात करके आ गया हूँ आपके रिस्तेदारो का क्या मन है तो मैने कहा कि आप ही बता दो जिस पर श्रवण जी ने कहा कि 50–40 करवा देना तो मैने कहा कि ज्यादा हो जायेगें तो श्रवण जी ने कहा कि आप कितना क्या कर सकते हो तो मैने कहा कि इनका तो 20–25 का मन है तब श्री श्रवण जी ने कहा कि 30 हजार रूपये करवा देना। मैने कहा कि अभी तो हमारे पास दस हजार है वह आप रख लो, बीस हजार आपको एटीम से लाकर दे देगें। तब श्रवण जी ने कहा कि साथ ही दे देना। हम दोनो दिन में करीब 2 घण्टे थाने में रूके थे। उस वक्त अमनदीन अण्डरवीयर में थाने की हवालात में बंद था। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।

परिवादीगण व गवाहान के सामने घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर आरोपीगण श्री श्रवण कुमार हैड कानि व श्री सतपाल कानि पुलिस थाना साहवा जिला चूरू हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर–20 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादीगण व आरोपी श्री श्रवण कुमार हैड कानि के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता तथा सहपरिवादी राधेश्याम के द्वारा आरोपी श्रवण कुमार से उसके मोबाईल पर की गई वार्ता जो टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादीगण व गवाहान के समक्ष जरिये लैपटॉप सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की तीन डीवीडी तैयार करवायी गई जिसमें से दो डीवीडी आरोपीगण के लिए कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क क्रमशः 'A-1,A-2' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। टेप रिकॉर्डर मे से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड को कागज के रैपर में डालकर कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क 'A' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये।

परिवादीगण व आरोपी श्री श्रवण कुमार हैड कानि के मध्य वक्त रिश्वत लेन–देन के समय हुई वार्ता जो टेप रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादीगण व गवाहान के समक्ष जरिये लैपटॉप सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता की तीन डीवीडी तैयार करवायी गई जिसमें से दो डीवीडी आरोपीगण के लिए कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क क्रमशः 'B-1,B-2' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक डीवीडी को अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। टेप रिकॉर्डर मे से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड के कागज के रैपर में डालकर मेमोरी कार्ड को रैपर सहित कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क 'B' अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर–20 को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया

दिनांक 23.04.2023 को 8.30 एएम पर परिवादीगण को साहवा में रूखस्त कर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो गवाहान व जाप्ता तथा गिरफतार मुल्जिमान श्रवण कुमार व सतपाल के ट्रेप कार्यवाही के दोरान जप्त वजह सबूत हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहन से साहवा से रवाना होकर चूरू पंहुचा। ट्रेप कार्यवाही में जप्त वजह सबूत जरिये गिरधारी सिह प्रभारी मालखाना के जमा मालखाना किया गया। दोनो गवाहान को रूखस्त दी गई। उक्त ट्रेप में समय–समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री अमित कुमार व उसके बडे भाई अमनदीप द्वारा स्क्रेप की दुकान मोटर मार्केट सिरसा (हरियाणा) में कर रखी हैं। दिनांक 19.04.2023 को पुलिस थाना साहवा जिला चूरू में दर्ज अभियोग संख्या 67/2023 धारा 379 भादस में अनुसंधान अधिकारी श्री श्रवण कुमार हैड कानि द्वारा प्रकरण के अभियुक्त जगदेवाराम को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ पर चोरी किया हुआ कल्टीवेटर अपनी पीकप से ले जाकर सिरसा में बेचना बताया। अभियुक्त की ईतला पर दिनांक 21.04.2023 को अनुसंधान अधिकारी श्री श्रवण कुमार हैड कानि उसे व थाना स्टाफ को हमराह

लेकर सिरसा में परिवादी अमित स्वामी की दुकान पर पहुंच जहां उसका भाई [illegible] पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर पुलिस थाना साहवा पर [illegible] भाई अमित स्वामी व उसका फूफा राधेश्याम शर्मा को पुलिस थाना साहवा [illegible] कुमार हैड कानि ने उनसे 50 हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा दिनांक 22.04.2023 सुबह मिलने के लिए कहा। इस पर परिवादीगण श्री अमित स्वामी व राधेश्याम [illegible] 22.04.2023 को पुलिस थाना साहवा भेजा गया तो आरोपी श्री श्रवण कुमार हैड कानि [illegible] अमनदीप को छोडने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने [illegible] भिन्न परिवादीगण से 30 हजार रूपये रिश्वत की मांग की। मांग के अनुसरण में दिनांक 22.04.2023 को पुलिस थाना साहवा के बाहर 30 हजार रूपये रिश्वत के प्राप्त कर [illegible] की जेब में रखकर थाने के पास ही आरोपी श्री सतपाल कानि से [illegible] उसके किराये के कमरे पर जाकर उसे दिये व इधर–उधर छिपाने को कहा। [illegible] सतपाल कानि ने उक्त राशि अपने कमरे के बाहर दीवार के पास नीचे जमीन पर [illegible] नीचे दबाकर छुपा दिये। जिस पर श्रवण कुमार हैड कानि व सतपाल कानि को [illegible] पकडा जाकर रिश्वती राशि सतपाल के बताये अनुसार ईंटो के नीचे से बरामद की गई। श्री श्रवण कुमार हैड कानि नं0 128 व श्री सतपाल कानि 662 पुलिस थाना साहवा [illegible] उक्त कृत्य धारा 7 भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) व 120बी [illegible] दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है। उपरोक्त समस्त घटना क्रम में श्री [illegible] निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना साहवा जिला चूरू की भूमिका भी संदिग्ध है [illegible] में दौराने अनुसंधान स्थिति स्पष्ट होगी।

अतः श्री श्रवण कुमार हैड कानि नं0 128 व श्री सतपाल कानि 662 पुलिस थाना साहवा जिला चूरू के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर को [illegible] प्रेषित की जा रही है।

(महेन्द्र कुमार)
पुलिस निरीक्षक,
भ्र. नि. ब्यूरो चूरू।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म, अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री श्रवण कुमार, हैड कानि. नम्बर 128, एवं 2. श्री सतपाल कानि. नम्बर 662, पुलिस थाना साहवा, जिला चूरू के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 91/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.4.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 722-25 दिनांक 24.4.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला चूरू।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

24.4.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।